छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग –दो

गुरूवार, दिनांक 18 अगस्त, 2022 (श्रावण 27, 1944)

माननीय श्री धरमलाल कौशिक, श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री विकास उपाध्याय एवं श्री शिशुपाल सोरी, सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

1. **कृपया सिटी मजिस्ट्रेट, बिलासपुर** की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1434/सा.लि./2022 दिनांक 16.05.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि –

   भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151, 207, 116 (3) के तहत् छत्तीसगढ़ विधान सभा के **माननीय श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य** को दिनांक 16.05.2022 को धरना प्रदर्शन प्रतिबंध के विरोध में आवागमन अवरूद्ध करने पर दोपहर 1:00 बजे नेहरू चौक, बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 16.05.2022 को दोपहर 1:00 बजे ही तत्समय रिहा कर दिया गया।

2. **कृपया अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कुरूद, जिला–धमतरी** की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक 2633/अ.वि.द./वा.02/2022, कुरूद दिनांक 06.07.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि –

   भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151, 207, 116 (3) के तहत् छत्तीसगढ़ विधान सभा के **माननीय श्री अजय चंद्राकर, सदस्य** को दिनांक 06.07.2022 को रैली के साथ जेल भरो आंदोलन करने के कारण संज्ञेय अपराध घटित होने एवं शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना पर दिनांक 06.07.2022 को सुबह 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 06.07.2022 को ही निःशर्त रिहा कर दिया गया।

3. **कृपया अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कुरूद, जिला–धमतरी** की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक 2634/अ.वि.द./वा.02/2022, कुरूद दिनांक 06.07.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि –

   भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151, 207, 116 (3) के तहत् छत्तीसगढ़ विधान सभा के **माननीय श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य** को दिनांक 06.07.2022 को रैली के साथ जेल भरो आंदोलन करने के कारण संज्ञेय अपराध घटित होने एवं शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना पर दिनांक 06.07.2022 को सुबह 11:00 बजे गिरफ्तार कर उन्हें स्वामी विवेकानंद अस्थाई जेल में रखा गया तथा दिनांक 06.07.2022 को ही निःशर्त रिहा कर दिया गया।

क्रमशः... 2

4. **कृपया पुलिस उपायुक्त, नईदिल्ली, जिला–नईदिल्ली** की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक 3752 / SO-DCP(AC-IV)/NDD, DATED, NEW DELHI 21.7.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि –

दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 की धारा 65 के तहत् छत्तीसगढ़ विधान सभा के **माननीय श्री विकास उपाध्याय, सदस्य** को दिनांक 21.07.2022 को नईदिल्ली जिले के क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने हेतु दोपहर 12:00 बजे पुलिस स्टेशन तुगलक रोड, नई दिल्ली के क्षेत्र में हिरासत में लिया गया और उन्हें नई पुलिस लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली ले जाया गया। दिनांक 21.07.2022 को ही अपराह्न 03:00 बजे उन्हें नई पुलिस लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

5. **कृपया अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कांकेर जिला–उत्तर बस्तर कांकेर** की ओर से प्राप्त प्रपत्र दिनांक 05.08.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि –

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151, 207, 116 (3) के तहत् छत्तीसगढ़ विधान सभा के **माननीय श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य** को दिनांक 05.08.2022 के दोपहर 02:15 बजे गिरफ्तार कर उन्हें कम्यूनिटी हॉल, कांकेर अस्थाई जेल में रखा गया तथा दिनांक 05.08.2022 को ही सायं 05:00 बजे स्वयं के मुचलका पर रिहा कर दिया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.